न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00099

1. बाबूलाल आत्मज स्व0 उदालाल जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
2. प्रहलाद आत्मज स्व0 उदालाल जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
3. महावीर आत्मज स्व0 उदालाल जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. प्रेमचन्द आत्मज स्व0 रामनारायण जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. जगन्नाथ आत्मज रामनारायण जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजेन्द्र आत्मज स्व0 रामनारायण जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. रामप्रकाश आत्मज भंवर लाल जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती गंगा बाई पुत्री श्री भंवर लाल जाति काछी निवीस ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. श्रीमती उद्दी बाई पुत्री भंवर लाल पत्नी नामालूम जाति काछी निवीस ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 की ओर से ।
3. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 4 व 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.02.1996 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 प्रेमचन्द एवं मृतक रामकिशनी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा में कुल 05 किता की 82 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि सन् 1994 से 1997 में आराजी वादी के दादा श्री घांसी के नाम दर्ज थी । उक्त भूमि के वर्तमान में बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 31 रकबा 1.03 हैक्अर, खसरा नम्बर 96 की रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 की 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 99 की 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 100 की 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 की 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 की 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 103 की 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 104 की 1.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 823 की 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 824 की 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 825 की 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 826 की 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 827 की 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 828 की 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 857 की 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 858 की 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 859 की रबा 0.26 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 877 की 0.36 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त आराजी पैतृक है जो पहले वादी क्रम 01 के दादा श्री घांसी के नाम दर्ज थी और उनकी मृत्यु उपरान्त संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता होने से प्रतिवादी क्रम 01 के नाम दर्ज की गई है । वादीगण का इस आराजी में 1/5 –1/5 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसका वादी को विधिवत विभाजन कराने एवं सहखातेदार घोषित कराने का अधिकार प्राप्त है । वादग्रस्त आराजी पर वादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी क्रम 1 से 3 के मन में बदयान्ति का गयी है और वे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकन का फायदा उठाकर उक्त भूमि से वादी को वंचित करने एवं उसे बेदखल कर आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए वादी को उसके हिस्से की आराजी पर तन्हा कब्जा दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम पृथक से दर्ज किया जावे तथा पृथक से लगान कायम किया जावे । यदि वादी क्रम 02 का हिस्सा न माना जावे तो वादपत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी का विभाजन किया जाकर वादी क्रम 01 को उनके हिस्से की आराजी 1/4 का तन्हा कब्जा दिलाया जाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.1991 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी ।

6. तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.09.1994 को पक्षकारान ने लिखित राजीनामा पेश किया और राजीनामा अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने का कथन किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.1996 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.02.1996 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार अपीलान्टगण के नाना स्वर्गीय घांसी वल्द अमरा थे । उस समय वादग्रस्त आराजी कुल 05 किता की रकबा 82 बीघा 02 बिस्वा भूमि दर्ज थी । अपीलान्टगण के नाना के खाते दर्ज कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 68 की 11 बीघा, खसरा नम्बर 42 की रकबा 54 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 की 18 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 371 की रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 374 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 377 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा कायम किये गये । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट कुल 18 किता की कुल रकबा 8.89 हैक्टर कायम किये गये । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के पिता स्व0 रामनारायण ने अपीलान्ट के नाना स्व0 घांसी की सम्पूर्ण आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने के बाद अपीलान्ट की नानी मोत्या बाई व रामसुखी व रामकंवरी के हक व अधिकार को हडप करने के उद्देश्य से आपस में दूरभि संधि करते हुए सम्पूर्ण कृषि भूमि बाबत् सहायक कलक्टर कोटा में वाद दायर कर आपस में मिलीभगत कर राजीनामा प्रस्तुत कर वाद डिक्री करवा लिया । अपीलान्टगण के नाना व उनकी पत्नी मोत्या बाई के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था । उनके केवल मात्र दो पुत्रियॉ रामसुखी एवं कंवरी बाई थी। स्व0 घांसी की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी व पुत्रियों के निरक्षर व अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 के पिता स्व0 रामनारायण ने अपने भाई रामकिशन को अपने साथ मिलाकर मिलीभगत करके स्वयं को स्व0 घांसी का गोद पुत्र बताते हुए स्व0 घांसी की आराजी में स्वयं का नाम नामान्तरकरण संख्या 1340 से दर्ज करवा लिया। उस समय स्व0 घांसी की दोनों पुत्रियॉ जीवित थी और उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वो प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी । स्व0 घांसी की सम्पूर्ण भूमि में केवल मात्र उनकी दोनों पुत्रियों का ही हक व अधिकार निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्टगण को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और दिनांक 17.03.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.02.1996 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार घांसी के एक पत्नी मोत्या बाई व दो पुत्रियॉ रामसुखी व रामकंवरी थी जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 को थी । वादग्रस्त आराजी में सम्पूर्ण हक व अधिकार स्व0 घांसी की पत्नी एवं उनकी दोनों पुत्रियों का है जिनको प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनया गया जबकि वे प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थीं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्टगण के हित प्रभावित हुए हैं और वो प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं जिन्हें न्यायहित में सुना जाना आवश्यक है । अतः अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

10. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना हित–निहित होने का कथन किया है और प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने का कथन

किया है । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपने नाम दर्ज होने का कथन अभिलिखित करने पर हुई जिस पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 17.03.2020 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है ।

12. रेस्पोडेन्ट कम 4 व 5 द्वारा न्यायालय हाजा में कॉस अपील संख्या 2021/00023 पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण को प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । घांसी लाल आत्मज अमरा के रामसुखी व कंवरी बाई पुत्रियॉ थीं जो एक मात्र घांसी लाल जी की सम्पत्ति को प्राप्त करने की अधिकारी होने के बावजूद भी मृतक रामनारायण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 के पिता द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली–भगत करके उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली । अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जॉच किये बिना ही एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः कॉस अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.1996 निरस्त फरमाया जावे ।

13. अपील अपीलान्टएवं रेस्पोडेन्ट कम 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत कॉस अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

14. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि कृषि भूमि के खातेदार घांसी आत्मज अमर लाल थे उनकी पत्नी मोत्या बाई एवं उनकी दो पुत्रियॉ रामसुखी एवं रामकंवरी थी जिनके वारिस अपीलान्टगण और रेस्पोडेन्ट कम 4 लगायत 6 हैं । रामनारायण ने स्वयं को घांसी का गोद पुत्र बताते हुए अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली । तत्समय घांसी लाल की पत्नी एवं पुत्रियॉ मौजूद थी । रामनारायण के पिता का नाम छगन लाल है उसका भाई रामकिशन है । छगन लाल कजोड के गोद गये थे । रामकिशन भी गोद गया था । छगन लाल के हिस्से की भूमि में रामनारायण एवं रामकिशन का हिस्सा निहित हो गया है । रामनारायण घांसी की पत्नी एवं पुत्रियों की भूमि को हडपने अपने पुत्रों से मिली भगत करके इस कृषि भूमि के बंटवारे के लिए एक दावा सहायक कलक्टर, कोटा के समक्ष पेश किया जिसमें जानबूझकर घांसी की पत्नी मोत्या बाई और उनकी पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया और दावा डिक्री करवा लिया । काउन्टर क्लेम के समय अपीलान्ट के अभिभाषक अन्य थे उनके द्वारा निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं दी गई । अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 4 व 5 के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 के द्वारा घांसी की पुत्रियॉ होना स्वीकार किया गया है । अपीलान्ट न्यायालय में क्लीन हैण्ड से आये हैं । आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न बनाकर दूरभि संधि करके निर्णय पारित करवा गया है । दावे में वादीगण अथवा प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि आराजी

रामनारायण की पैतृक भूमि थी । अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सन् 2019 में हुई और जानकारी के उपरान्त अपील पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.1996 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2018 (1) पेज 601, आरआरटी 2011 (1) पेज 498, एआईआर 2013 (सिविल) पेज 944 उद्वरत की ।

15. रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शमिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अपील में अनावश्यक मुद्दों को उठाया गया है । रामनारायण जी घांसी के गोद पुत्र थे जिनका इंतकाल संख्या 1038 संवत् 2003–04 में ही खुल गया था । सन् 1946 में बहैसियत खातेदार उनका नाम अंकित हो गया था । घांसी जी की मृत्यु सन् 1945 में हो गयी थी । तत्समय जब रामनारायण के नाम से इंतकाल खोला गया तब मोत्या बाई एवं उनकी पुत्रियॉ रामसुखी एवं रामकंवरी के द्वारा आपत्ति नहीं की गई । सन् 1952 में कजोड बाई के द्वारा रामकिशन को गोद लिये जाने के दस्तावेज का उल्लेख है । काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व कोटा सरकूलर नं0 03 के प्रावधानों के तहत पुत्र अथवा गोदपुत्र के होते हुए माता या बहिनों को कोई अधिकार नहीं मिलते हैं । अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद के जवाब प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट ने समस्त तथ्य दिये हैं जिसके आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । मोत्या बाई सन् 1976 तक जीवित रहीं और रामसुखी सन् 1980 तक जीवित रहीं । रामसुखी का पति जीवित है उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । घांसी की मृत्यु के पूर्व में ही रामकंवरी एवं रामसुखी का विवाह हो गया था । मोत्या बाई की मृत्यु सन् 1976 में हुई थी उनके द्वारा कभी भी नामान्तरकरण और गोदनामे को चुनौती नहीं दी गई । अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही इस डिक्री की जानकारी है । अपीलान्ट ने एक अन्य वाद रामप्रकाश बनाम प्रेमचन्द में यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के मध्य पारित निर्णय दिनांक 26.10.1996 दिनांक 30.01.1999 एवं नामान्तरकण संख्या 197 प्रभावहीन है । काउन्टर क्लेम को अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 22.08.2015 को पेश किया गया है जबकि अपील में परीक्षण न्यायालय के निर्णय की जानकारी सन् 2019 में होना बता रहे हैं । सन् 2016 में स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज हुआ तब भी जानकारी थी और 2018 में जब उपखण्ड अधिकारी के यहॉ अन्य दावा पेश किया गया था तब भी जानकारी थी । अपीलान्ट का दावा और रेस्पोडेन्ट कम 4 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 02.12.2016 को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया था । इस न्यायालय के द्वारा अपील में प्रकरण दीवानी न्यायालय को लौटाने के आदेश दिये थे जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में जैरकार है । अपीलान्ट के विलम्ब को क्षम्य करने के लिए जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं वो प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.1996 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 2012 (एससी) पेज 506, एआईआर 2012 (एससी) पेज 1629 उद्वरत की ।

16. अपील में रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

17. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में रामप्रकाश बनाम प्रेमचन्द उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में पेश किये गये दावे की फोटो प्रति पेश की है । यह दावा दिनांक 19.06.2015 को पेश किया गया है । उक्त दावे की मद संख्या 09 में यह अंकित किया गया है कि रामनारायण का स्वर्गवास हो चुका है । रामनारायण के स्वर्गवास के उपरान्त सहायक कलक्टर, कोटा के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.10.1996 दिनाक 30.01. 1999 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 197 दिनांक 12.03.1999 के जरिये आराजी प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 एवं मु0 रामकिशनी बेवा रामनारायण के खाते में दर्ज की गई थी । प्रतिवादीगण क्रम 4 लगायत 7 के द्वारा जो काउन्टर क्लेम पेश किया गया है वो दिनांक 24.09.2015 को पेश किया गया है और इसमें प्रतिवादीगण क्रम 1 और 2 के खाते में गैर कानूनी रूप से भूमि दर्ज होने का अंकन किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र की आदेशिका दिनांक 19.06.2015, धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 10.02.2016 की फोटो प्रति आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सीपीसी एवं आदेश 07 नियम 11 जो कि प्रेमचन्द एवं अन्य ने पेश किया है उसकी प्रमाणित प्रति, दावा संख्या 95/2015 में पेश किये गये आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 एवं 22.12.2017 की प्रमाणित प्रतियॉ, उपखण्ड अधिकारी कोटा में दावा संख्या 129/2018 की आदेशिका की प्रमाणित प्रतियॉ ओर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश दावा अन्तर्गत हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रतियॉ जो कि बाबूलाल एवं अन्य के द्वारा सन् 2018 में पेश किये गये हैं ।

18. रेस्पोडेन्ट क्रम 4 व 5 के विद्वान् अभिभाषक द्वारा अपील व अपनी क्रॉस अपील का समर्थन करते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 4 व 5 को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 4 व 5 के नाना की है । उन्होंने रामनारायण को कभी गोद नहीं लिया था । हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील व क्रॉस अपील स्वीकार की जावें ।

19. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.02.1996 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रमचन्द आत्ज रामनारायण, रामकिशनी पत्नी रामनारायण, जगन्नाथ, राजेन्द्र आत्मज रामनारायण के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है इस निर्णय के खिलाफ अपील सन् 2019 में लगभग 25 वर्ष बाद पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के समर्थन में यह कथन किया गया है कि उनको अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सन् 2019 में हुई । यह कथन तथ्यों के विपरीत है । न्यायालय हाजा में पेश प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ उपखण्ड अधिकारी न्यायालय की आदेशिका की जो प्रमाणित प्रति पेश की गई है उसके अनुसार प्रकरण संख्या 129/2018 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में अन्तर्गत स्थायी निषेधाज्ञा एवं हक घोषणा बाबूलाल एवं प्रेमचन्द तथा अन्य के मध्य लम्बित है । इस दावे को वर्तमान अपीलान्ट ने ही पेश किया है और इसी वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा, बंटवारे एवं

स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है । इस दावे की मद संख्या 18 में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 के पिता रामनारायण से मिली भगत करके सहायक कलक्टर कोटा में दिनांक 26.02.1996 को निर्णय पारित करवा लिया है और इस निर्णय की पालना में दिनांक 30.10.1999 को नामान्तरकरण संख्या 197 दिनांक 12.03.1999 को तस्दीक करवा लिया है । इस प्रकार यह दावा अपीलान्टगण के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 25.10.2018 को पेश किया है उसमें 1996 के इस निर्णय का हवाला है । तद्नुसार अपीलान्टगण का यह कथन कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम सन् 2019 में हुई तथ्यों के विपरीत है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटा में पेश किये गये दावा संख्या 96/2015 की फोटो प्रति पेश की है उसमें रेस्पोडेन्ट क्रम 4 और 5 ने अपने दावे की मद संख्या 09 में अपीलाधीन निर्णय का हवाला दिया है और अपीलान्ट ने अपने काउन्टर क्लेम की मद संख्या 11 में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते यह भूमि गैर कानूनी रूप से दर्ज की गई है । ये दोनों दावे एवं जवाबदावे भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि अपीलान्टगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सन् 2019 के पूर्व ही थी । तद्नुसार उनके द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सन् 2020 में होने का जो कथन किया है वो तथ्यों के विपरीत है/इस कारण अपीलान्ट द्वारा उद्वरत नजीरें यहॉ लागू नहीं होती है ।

20. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन निर्णय में तत्समय जो खातेदार थे उनको पक्षकार बनाया जाकर हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया गया था जिसको डिक्री किया गया है । अपीलान्टगण ने अपने अधिकार एवं स्वत्व के लिए पृथक से दावा पेश कर रखा है जो उपखण्ड न्यायालय में जैरकार है जिसमें विधि सम्मत निर्णय अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण क्रम 4 व 5 के अधिकार एवं स्वत्व के बाबत् पारित किया जावेगा । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट व रस्पोडेन्ट क्रम 4 व 5 द्वारा पेश क्रॉस अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है ।

21. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 2020/00099 एवं क्रॉस अपील संख्या 2021/00023 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.1996 यथावत रखा जाता है ।

22. निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00099

1. बाबूलाल आत्मज स्व0 उदालाल जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
2. प्रहलाद आत्मज स्व0 उदालाल जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
3. महावीर आत्मज स्व0 उदालाल जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. प्रेमचन्द आत्मज स्व0 रामनारायण जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. जगन्नाथ आत्मज रामनारायण जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजेन्द्र आत्मज स्व0 रामनारायण जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. रामप्रकाश आत्मज भंवर लाल जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती गंगा बाई पुत्री श्री भंवर लाल जाति काछी निवीस ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. श्रीमती उद्दी बाई पुत्री भंवर लाल पत्नी नामालूम जाति काछी निवीस ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.1996 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

संख्याः 11/दावा/1990

1. प्रेमचन्द आत्मज स्व0 रामनारायण जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रामकिशनी पत्नी रामनारायण जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---वादी

बनाम

1. रामनारायण आत्मज घांसी लाल जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. जगन्नाथ आत्मज रामनारायण जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजेन्द्र कुमार आत्मज रामनारायण जाति काछी निवासी ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.1996 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 10.02.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कुलदीप सिंह एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 की ओर से अभिभाषक श्री दीनानाथ गालव एवं रेस्पोडेन्ट कम 4 व 5 की ओर से अभिभषक श्री घनश्याम नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया अपील अपीलान्ट संख्या 2020/00099 एवं क्रॉस अपील संख्या 2021/00023 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.1996 यथावत रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 10.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

10/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा